<u>विधानसभा / महत्वपूर्ण</u>

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 35 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर

2. **प्रबंध संचालक,**
अपेक्स बैंक,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

3. **कलेक्टर,**
जिला–बालोद,
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 327 तारांकित द्वारा श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

---00---

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 327 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 03.12.2025 तक** ई–मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

Agrawal
सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 36 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

प्रतिलिपि :–

खाद्य अधिकारी, जिला–बालोद छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Agrawal
सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **09/12/2025**

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **16/12/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **उपार्जन व संग्रहण केन्द्रों में समय पर धान का उठाव न होने के कारण धान की मात्रा में आने वाली कमी ।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **327**) **श्रीमतीसंगीता सिन्हा**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है? सोसायटीवार बतावें. (ख) धान उपार्जन केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में क्रमश: कितने प्रतिशत तक की सूखत को मान्य किया गया है? निर्धारित मात्रा से अधिक सूखत पाये जाने पर इसकी भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? उक्त सत्र में संग्रहित धान का उठाव कब तक कर लिया जाना चाहिए था? निर्धारित समयावधि के पश्चात भी उपार्जन व संग्रहण केन्द्रों में समय पर धान का उठाव न होने के कारण धान की मात्रा में आने वाली कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? जानकारी देवें. (ग) कण्डिका 'क' की अवधि में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के किन-किन सेवा सहकारी समितियों तथा संग्रहण केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में धान की कमी पायी गयी है? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है एवं इनके विरूद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी देवें.

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 28/11/2025 10:47:43 |

Remark :

कले बालोद
मार्कफेड
अपेक्स बैंक